



क्रांति

खण्ड —XXVII अंक—06

31 मार्च, 2022

वर्णनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । मंगलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ।

अक्षरों, अर्थसमूहों, रसों, छन्दों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वन्दना करता हूं।

श्रीरामचरितमानस 1 / 1

स्वागत

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-4/15154 दिनांक 24.2.2022 के अनुसार डॉ. (सुश्री) उर्वशी वशिष्ठ ने 21.2.2022 से संस्थान के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में अंग्रेजी भाषा अनुदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/15846 दिनांक 28.2.2022 के अनुसार डॉ. गोविन्द नारायण साहू ने 11.2.2022 से संस्थान के कार्ट (CART) में पोस्ट—डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/15606 दिनांक 28.2.2022 के अनुसार प्रो. अतनेन्दु सेखर मण्डल ने 2.2.2022 से संस्थान के भारती दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध स्कूल में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/17738 दिनांक 7.3.2022 के अनुसार प्रो. रोहित कुमार ने 21.2.2022 से संस्थान के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में सातवें वेतन आयोग के लेवल—12 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड—I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- प्रो. रोहित कुमार को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) के लिए संस्थान द्वारा प्रायोजित “युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप” भी प्रदान की गई है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/17351 दिनांक 4.3.2022 के अनुसार प्रो. कौशिक सेन ने 2.3.2022 से संस्थान के भौतिकी विभाग में सातवें वेतन आयोग के लेवल—12 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड—I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- प्रो. कौशिक सेन को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) के लिए संस्थान द्वारा प्रायोजित “युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप” भी प्रदान की गई है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/24878 दिनांक 29.3.2022 के अनुसार डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने 22.3.2022 से संस्थान के कार्ट (CART) में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/24332 दिनांक 28.3.2022 के अनुसार श्री कृष्णा कुमार सिरोही ने 25.2.2022 से संस्थान के भारती दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध स्कूल में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग-II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estt-II/2022/22847 दिनांक 23.3.2022 के अनुसार श्री प्रदीप कुमार मीणा ने 15.3.2022 से संस्थान के केन्द्रीय कार्यशाला में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग-II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estt-II/2022/25357 दिनांक 29.3.2022 के अनुसार श्री सूर्यमणि ने 7.3.2022 से संस्थान के कम्प्यूटर सेवा केन्द्र में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग-II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estt-II/2022/21624 दिनांक 17.3.2022 के अनुसार सुश्री गगन ने 11.3.2022 से संस्थान के डिजाइन विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग-II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estt-II/2022/24637 दिनांक 28.3.2022 के अनुसार श्री अभिषेक राजपुरोहित ने 10.3.2022 से संस्थान के डिजाइन विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

आजादी का अमृत महोत्सव

समाज में परिवर्तन के सात स्वप्न देखे थे डॉ. राममनोहर लोहिया ने, जिन्हें सप्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जन्म जयंती (23 मार्च) पर पढ़िए इन सातों क्रांतियों पर उनके मूल विचार....

बीसवीं सदी के दो गुण हैं। एक तो यह दुनिया का शायद सबसे बेरहम युग है, बिल्कुल निर्दयी, और दूसरे, अन्याय के खिलाफ जितना यह युग लड़ रहा है, उतना शायद पहले वाला और कोई नहीं लड़ा। एक तरफ निर्दयता में यह सदी बहुत बड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ, न्याय की इच्छा में भी।

निर्दयता के नमूने मुझे ज्यादा नहीं देने हैं। खाली एक तो यह कि आजादी की जो लड़ाइयां हुई हैं, उनमें साम्राज्यशाही देशों ने गुलाम देशों के कितने ही लोगों का खून बहाया है? करोड़ों की तादाद में! कांगो में पिछले 70-80 बरस में, कोई 60 लाख आदमी किसी न किसी रूप में मार डाले गए हैं। इसी तरह साम्राज्यशाही ने और दूसरे तत्वों ने भी शोषण इतना जबरदस्त किया है कि चाहे हिन्दुस्तान जैसे देश में तोप-बंदूक से ज्यादा जाने न ली हों, लेकिन जैसे अकाल—एक ही अकाल में, युद्ध के जमाने में बंगाल में, कुछ कहते हैं 50 लाख यहूदियों को, जैसे कोई पदार्थ हो, वस्तु हो, वैसे खत्म किया गया। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह एक बहुत बेरहम सदी है।

अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, मैं शुरू में केवल गिनाए देता हूं कि किन—किन चीजों के खिलाफ आज इंसान दुनिया के करीब—करीब हर हिस्से में लड़ रहा है, करीब—करीब एक साथ। पहले तो ऐसा होता था कि किसी एक देश में न्याय की भावना जगती थी और दूसरे देशों में वह दबी हुई रहती थी। अबकी बार ऐसा नहीं है। सभी देशों में न्याय की भावना करीब—करीब एक साथ उमड़ी है, कहीं किसी बारे में कम, कहीं किसी बारे में ज्यादा। एक फर्क यह भी है कि अन्याय कई किस्म का होता है और सब किस्मों के साथ लड़ना पहले कभी नहीं हुआ है। किसी एक सरकार के अन्याय के विरोध में लड़ाई तो पहले भी मनुष्य ने की है, लेकिन अबकी बार सभी प्रकार, जो मनुष्य सोच सकता है या है, उनके खिलाफ एक साथ, कभी इस अन्याय के खिलाफ, कभी उस

अन्याय के खिलाफ, एक ही देश में कई अन्यायों के खिलाफ लड़ रहा है

मोटे तौर से ये सात क्रांतियां हैं। सातों क्रांतियां संसार में एक साथ चल रही हैं। जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते—बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान सब नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ता—जूझता ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए कि जिसमें आंतरिक शांति और बाहरी या भौतिक भरा—पूरा समाज बन पाए।

सबसे पहले गरीबी और अमीरी के फर्क से जो अन्याय निकलते हैं, उनको लें। यह जड़ वाला अन्याय है। गरीबी—अमीरी, कुछ पुराने जमाने को छोड़ दें तो हमेशा ही रही है और कुछ रूपों में कभी—कभी किन्हीं देशों में गरीबों का अमीरों के खिलाफ उठना भी हुआ है, लेकिन अबकी बार गरीबी—अमीरी की लड़ाई में बराबरी की भावना बहुत जोरों के साथ आई है। मैं मानता हूं कि यों आदमी में बराबरी की कोई प्राकृतिक भावना है, पूरी न हो, थोड़ी—बहुत हो। कुछ लोग न मानें या इन्कार करें, तो छोटी—मोटी बातों का तो सीधा सा जवाब हो जाता है। मिसाल के लिए, लोग कह दिया करते हैं कि पांचों अंगुलियां क्या बराबर हैं, या कि नदियों को कभी देखने जाओ तो पता चले कि कृष्णा नदी एक सेकेंड में एक करोड़ 10 लाख घन फीट पानी बहाती है। इस तरह के बहुत से उदाहरण लोग दे दिया करते हैं कि असमता प्रकृति का नियम है, न कि समता। इस पर मैं एक बहुत छोटी सी बात कह देता हूं कि प्रकृति का नियम जो भी हो, मनुष्य का नियम होना चाहिए, समता। मैं जानता हूं कि आदमी में दूसरी विपरीत भावनाएं भी मौजूद हैं। मिसाल के लिए, लोग चाहते हैं कि समाज का, राज का ऐसा संगठन हो जिसमें हर एक आदमी की जगह निश्चित हो ताकि उसमें उतार—चढ़ाव का जोखिम न हो। यह बात लोगों को काफी पसंद आती है, क्योंकि करीब—करीब हर आदमी किसी न किसी के ऊपर होता ही है। जैसे हिन्दुस्तान के समाज में बहुत दबे हुए लोगों को भी प्रसन्नता इस बात की रहती है कि उनके नीचे भी तो कोई न कोई है।

समाज का गठन सीढ़ी के हिसाब से बन जाता है, ऊंच—नीच की सीढ़ी। और ऊंच—नीच की खाली एक सीढ़ी तो नहीं होती है, हजारों—लाखों सीढ़ियां होती हैं। हिन्दुस्तान जैसे समाज में तो 10 लाख सीढ़ियां होंगी, पैसे की आमदनी के हिसाब से भी और समाज में सम्मान के हिसाब से भी। मान लो कोई आदमी छह लाखवीं सीढ़ी पर बैठा हुआ है, तो वह इस बात से इतना नहीं घबराता कि उसके ऊपर इतने लोग बैठे हुए हैं, वह इसी बात से खुश है कि चलो, हमारे नीचे भी कई लाख लोग तो हैं ही। बड़े लोगों को, जो समाज का गठन करते हैं, उसे चलाते हैं, नियंत्रण करते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। उनके अंदर अफसरों में भी—कोई कम बड़े अफसर, कोई ज्यादा बड़े अफसर, एक बहुत जबरदस्त प्रसन्नता रहती है। अकबर न सही, मानसिंह हैं, तो मानसिंह को खुशी इस बात की रहती है कि उसकी अपनी एक जगह है।

इसी तरह से, जो समाज बहुत गरीब बन जाता है, उसमें बराबरी की भूख इतनी जल्दी नहीं लगती है, क्योंकि उसकी इच्छा और उद्देश्य प्रायः केवल पेट भरने का हो जाता है या पेट भरने से थोड़ा ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए हिन्दुस्तान जैसे देश में साधारण जनता यानी गरीब आदमी क्रांति को इतना नहीं समझेगा, जितना की राहत वाली राजनीति को। यह बराबरी को इतना नहीं समझेगा, जितना कि बख्शीश को। उसको अगर थोड़ा—बहुत पैसा मिलता रहे, जितने की उसको आकंक्षा है, तो वह इसे ज्यादा पसंद करेगा, चाहे वह पैसा और समाज में उसका स्थान बहुत नीचे दर्ज का हो, लेकिन कुछ मिला तो सही। जहां आदमी बहुत भूखा, बहुत दबा और गिरा हुआ है, वहां वह थोड़ी—बहुत राहत की चीजों से प्रसन्न हो जाता है। उसे बराबरी की इच्छा कोई ऐसी काल्पनिक चीज मालूम होती है कि उसके लिए वह बहुत चिंता या सोच—विचार करने को तैयार नहीं होता। ऐसा देखा गया है, लेकिन यह खाली तुलनात्मक सा सापेक्ष बात कह रहा हूं। समय बीतते—बीतते, ठोकर खाते—खाते दूसरी बातें भी दिमाग में आने लगती हैं।

त्यागपत्र स्वीकृत

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/21845 दिनांक 17.3.2021 के अनुसार प्रो. संदीप कुमार पाठक, सह—प्रोफेसर (ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 17.3.2022 से स्वीकार कर लिया है। अतः उन्हें 17.3.2022 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/20039 दिनांक 21.3.2021 के अनुसार डॉ. जोयदीप सिंघ, पोस्ट डॉक्टरल फेलो (रसायन विज्ञान विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 26.3.2022 से स्वीकार कर लिया है। अतः उन्हें 26.3.2022 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया है।

सेवानिवृत्तियाँ

संस्थान के निम्नलिखित संकाय एवं स्टाफ सदस्य अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 मार्च, 2022 को अपराह्न में संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं :—

श्री कुन्ज बिहारी (25662), कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग



श्री कुन्ज बिहारी ने 10 मई, 1985 को संस्थान में मैकेनिक 'सी' के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

1 जून, 1993 को आपको आर.सी.डी.एस. के अन्तर्गत वरिष्ठ मैकेनिक के रूप में चयनित किया गया।

1 मई, 1998 को आर.सी.पी.एस. के अन्तर्गत आपको मैकेनिक के रूप में मैप किया गया। 1 जून, 2005 को इसी योजना के अन्तर्गत आपको कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक के रूप में पदोन्नति/पुनःपदनामित किया गया।

10 मई, 2015 को एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत आपको उन्नयन दिया गया। सौम्य व्यक्तित्व के श्री कुन्ज बिहारी मैहनती एवं मिलनसार कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक रहे हैं।

श्री गणेश चन्द्र (26593), कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, भौतिकी विभाग



श्री गणेश चन्द्र ने 13 मार्च, 1981 को संस्थान में 210—290/- रु. 800—1150/- रु. के वेतनमान में अटेन्डेन्ट के रूप में

कार्यभार ग्रहण किया था। 1 अप्रैल, 1986 को आपको 870—940/- रु. अटेन्डेन्ट (ग्रेड—I) के रूप में पदोन्नत किया गया। 1 अप्रैल, 1994 को आर.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आपको 950—4590/- रु. के वेतनमान में पदोन्नत किया गया। 21 अगस्त, 2002 को आपको ग्रुप 'सी' में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में चयनित किया गया। 22 फरवरी, 2012 को आर.सी.पी.एस. के अन्तर्गत आपको 2400/- रु. ग्रेड वेतन में उन्नयन दिया गया। श्री गणेश चन्द्र एक कर्मठ एवं मैहनती कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक रहे हैं।

वक्ता तथा समस्त प्रतिभागियों का अभिवादन किया। आपने बताया कि संस्थान का हिंदी कक्ष समय—समय पर इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है ताकि हिंदी में कार्य को सहज और सरल रूप से किया जा सके। आपने कार्यशाला की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का युग तकनीक का युग है तथा कार्यों में तकनीक का इस्तेमाल समय की मांग भी है। जैसे कि कार्यशाला के विषय 'बेहतर कार्यक्रमता के लिए प्रौद्योगिकी' से ही स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी से कार्य क्षमता में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है या बेहतर बनाया जा सकता है।

आपने तकनीकी वक्ता **श्री बालेन्दु शर्मा दाधीच** (निदेशक, भारतीय भाषाएं तथा सुगम्यता माइक्रोसॉफ्ट इण्डिया) जी का परिचय कराते हुए उन्हें कार्यशाला के विषय पर अपना अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। श्री बालेन्दु शर्मा दाधीच जी ने सभी का अभिनन्दन करते हुए कार्यशाला में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया तथा कहा कि हमें अपनी भाषा पर केवल गर्व ही नहीं करना है बल्कि काम भी करना है। आपने अपनी बात को निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से सभी के सामने रखा:—

हिंदी तभी बढ़ेगी.....

"नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी।

नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी।

गलों को फाड़कर चाहे करें हम अनगिनत दावे।

बनेगी मूक की आवाज तो हिंदी बढ़ेगी"।

ठहर जाती हैं भाषाएं नयेपन से जो डरती हैं।

नवाचारों को अपनाए तभी हिंदी बढ़ेगी।

ये है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया।

जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी।

"बेहतर कार्य क्षमता के लिए प्रौद्योगिकी" विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसारण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय—समय पर राजभाषा हिंदी के संबंध में कार्यशाला और विचार—विमर्श संगोष्ठी इत्यादि आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी का अनुपालन करते हुए संस्थान में 29 मार्च, 2022 को 'बेहतर कार्यक्रमता के लिए प्रौद्योगिकी' विषय पर ऑनलाइन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम डॉ. नीरज चौरसिया ने कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए अतिथि

उन्होंने कहा हमारी भाषा को तकनीक तथा विज्ञान के साथ चलना होगा तभी स्थायित्व मिलेगा। कोरोना काल में हम रिमोट मोड में चले गए थे। लोग दूर-दूर रहते हुए सभी कार्य कर रहे थे, दफतर बन्द थे पर टेक्नोलाजी खुली थी। वर्चुअल आयोजन में धन, श्रम एवं समय की बचत होती है। कार्यशाला के प्रतिभागियों को विभिन्न टूल्स तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में टाइपिंग में ट्रांसलेशन आदि के तरीके बताते हुए अपने कम्प्यूटर में सेटिंग करके

भी दिखाया। प्रतिभागियों ने इसमें काफी रुचि भी दिखाई।

श्री बालेन्दु ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज व ऑफिस में हिन्दी के समर्थन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट वर्क आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि आज तकनीकी जागरूकता का अभाव हिन्दी में कार्य करने में सबसे बड़ी चुनौती है।

अंत में डॉ. चौरसिया ने कहा कि हिन्दी में

कार्य करने के लिए बहुत सारे टूल्स व सॉफ्टवेयर हैं। आशा व्यक्त की कि प्रतिभागी इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को उपयोग जरूर करेंगे। इसके उपरान्त आपने श्री आनन्द प्रकाश (सहायक कुलसचिव, हिन्दी कक्ष) को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया।

श्री आनन्द जी ने सभी प्रतिभागियों, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष हिन्दी कक्ष, हिन्दी कक्ष स्टाफ सदस्यों को सफलतापूर्वक कार्यशाला समापन के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यशाला का समापन किया।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात

- 1 सामान्य आदेश / General Orders
- 2 संकल्प / Resolution
- 3 परिपत्र / Circulars
- 4 नियम / Rules
- 5 प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन / Administrative or other reports
- 6 प्रेस विज्ञप्तियाँ / Press Release/Communiques
- 7 संविदाएँ / Contracts
- 8 करार / Agreements
- 9 अनुज्ञप्तियाँ / Licences
- 10 निविदा प्रारूप / Tender Forms
- 11 अनुज्ञा पत्र / Permits
- 12 निविदा सूचनाएँ / Tender Notices
- 13 अधिसूचनाएँ / Notifications
- 14 संसद के समक्ष रखे जाने वाले / प्रतिवेदन तथा कागज पत्र / Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा हिन्दी के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण

क्षेत्र क— बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र ख— गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र ग— खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

राजभाषा नियम 1976 नियम 5

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिन्दी में दिया जाना अनिवार्य है। अतः सभी विभाग / केन्द्र / अनुभाग / प्रकोष्ठ / एकक आदि के प्रमुखों से अनुरोध है कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दें और उनका रिकॉर्ड रखें।